मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 10-62/98/25/2 भोपाल, दिनांक:- 27.10.99
9.11.99

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
म0प्र0 भोपाल.

विषय:- धंसौर जिला सिवनी में आदर्श उ.मा. विद्यालय की स्थापना !

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./शि.शाला/2अ/298-9/17016 दिनांक 25.6.99

===00===

राज्य शासन ग्राम कहानी वि.खण्ड धंसौर जिला सिवनी में एक आदर्श उ.मा. विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित पद उनके सामने अंकित वेतनमान में अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.2000 तक स्वीकृत करने की सहमति प्रदान करता है :-

क्र0प्र0	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	प्राचार्य/प्रथम श्रेणी	1	10000-15200
2	व्याख्याता	10	5500-9000
3	उ0श्रे0 लिपिक शिक्षक U.D.T	9	5000-8000
4	संगीत शिक्षक	1	5000-8000
5	क्राफ्ट शिक्षक	1	5000-8000
6	छात्रावास अधीक्षक	1	5500-9000
7	तबला शिक्षक	1	5000-8000
8	पुस्तकालय सहायक	1	3050-4590
9	प्रयोगशाला सहायक	1	3500-5200
10	लेखापाल	1	4000-6000
11	पी.टी.आई.	1	5000-8000
12	सहायक शिक्षक	4	4000-6000
13	नि.श्रे. लिपिक	2	3050-4590
14	उ.श्रे. लिपिक	1	4000-6000
15	प्रयोगशाला परिचारक	1	2550-3200
16	भृत्य	3	2550-3200
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
	1. रसोईया	1	आकस्मिक व्यय मजदूरी
	2. माली	1	-"- -"-
	3. चौकीदार	1	-"- -"-

उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय (वेतन एवं भत्ते) राशि रूपये 15,22,500/- शब्दों में पंद्रह लाख बाईस हजार पांच सौ रूपये स्वीकृति प्रदान करता है ।

उपरोक्त व्यय मांग संख्या 41 मुख्य शीर्ष 2225 अनु०जाति/अनु०जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनु. जनजातियों का कल्याण 0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना राज्य आयोजना 277 शिक्षा 364 आदर्श उ. मा. वि. की स्थापना के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 806/एस.आर. 140/चार/ब-5199 दिनांक 5.11.99 द्वारा महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
सही/-
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास,
मध्य प्रदेश

[illegible]/2ब/204/99/[illegible] भोपाल, दिनांक:- 13 [illegible]

प्रतिलिपि:-

(1) महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर ।
(2) वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट) मुख्यालय भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वीकृत राशि रूपये 15,22,[illegible]0/-का आवंटन आदर्श उ. मा. वि. [illegible] जिला सिवनी को आवंटित कराने हेतु ।
(3) कोषालय अधिकारी सिवनी ।
(4) जिलाध्यक्ष, सिवनी (म०प्र०)
(5) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिवनी (म०प्र०)
(6) शिक्षा स्थापना 1, 2, 3, 4, एवं कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय, भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

अपर आयुक्त,
[illegible]